कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला कोरिया(बैकुन्ठपुर)छत्तीसगढ़

क्रमांक/ 1858 /एन0एच0एम0/2019 बैकुन्ठपुर, दिनांक 28/8/19

विज्ञापन

जिला कोरिया अंतर्गत जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ीकरण करने हेतु रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में स्थानीय व्यस्था के तहत जिला प्रशासन के डी0एम0एफ0 मद के अंतर्गत संविदा नियुक्ति के लियें **Walk-In-Interview** किया जाना है, जिसके लिये इच्छुक पात्र उम्मीदवार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया छ0ग0 में दिनांक **05.09.2019** से **14.09.2019** तक प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 05:30 बजे तक संबंधित पद के विरूद्व भर्ती हेतु आवश्यक दस्तावेजों के मूल प्रति व छाया प्रति के साथ में उपस्थित होना अनिवार्य है। संविदा भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है—

क्र.	पदनाम	पद संख्या	शैक्षणिक योग्यता	एकमुस्त वेतन	रिमार्क
1	निश्चेतना विशेषज्ञ	02	एम.डी. एनेस्थिशिया/डी.ए.	210000.00	विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति उपलब्धता के आधार पर अनारक्षित वर्ग में की जायेंगी।
2.	स्त्री रोग विशेषज्ञ	03	एम.डी. गायनिक/डी.जी.ओ/डी.एन.बी.	210000.00	

आवश्यक शर्ते एवं चयन प्रक्रिया :

1. सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाहएक मुश्त मानदेय देय होगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नही होगा।
2. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नही होगा। **Walk-In-Interview** के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जावेगी, इसमें सही पाये जाने पर चयन समिति के द्वारा दिये गये अंको के आधार पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
3. नियुक्ति हेतु भारत देश के सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किया जायेगा।
4. उपलब्धता अनुसार आवास सुविधा प्रदान की जायेगी।
5. भर्ती के सम्बंध में समस्त जानकारी कोरिया जिले के **NIC** की वेब साईड WWW.Korea.gov.in एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के सूचना पटल पर भी चश्पा की जावेगी।
6. प्रशासकीय कारणो से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है। या निरस्त की जा सकती है। चयन का पूरा अधिकार चयन समिती का होगा।
7. संविदा अवधि केवल एक 01 वर्ष लिए होगी कार्यमुल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त अवधि की वृद्धि की जा सकती है। भर्ती राज्य से किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त माना जायेगा या दूसरे स्थान पर कार्य हेतु निर्देशित किया जायेगा।
8. प्रतीक्षा सूची की वैघता 01 वर्ष रहेगी। इस समयावधि में स्वीकृत नए पद अथवा त्याग पत्र या किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदो को भी इसी प्रतिक्षा सूची से भरा जा सकेगा।
9. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजो को अच्छी तरह से नस्तीबद्व किया जावे तथा पृष्ट क्रमांक भी अंकित करें। आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करें।
   (1. आवेदन पत्र 2. निवास प्रमाण पत्र 3. जाति प्रमाण पत्र 4. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र 5. अनुभव प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र)
10. एक से अधिक पदो में भर्ती के इच्छुक उमीदवारों प्रत्येक पद के लिए पृथक—पृथक आवेदन जमा करना होगा।
11. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट पर स्वंय का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो स्वंम के द्वारा स्वप्रमाणित कर चश्पा करें। एवं आवश्यक प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

Scanned by CamScanner

12. शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्था अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को उन संस्थाओं के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा आवेदन विचारणीय नही होगा।

13. आवेदक की आयु दिनोंक 01.01.2019 की स्थिति में न्युन्तम 18 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष होना चाहिए।

14. भर्ती प्रकिृया के दौरान जिला प्रशासन द्वारा नियम एवं शर्तो में परिवर्तन होने पर आवेदको को मान्य होगा।

15.. भर्ती प्रकिृया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार जिलाधीश कलेक्टर का होगा, जो सभी आवेदको को मान्य करने के लिए बंधनकारी होगा।

16. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व 01 माह सूचना देना होगा अन्यथा एक माह का वेतन जमा किया जायेगा।

17. एक माह से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये जाने पर सेवाएं स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

18. संविदा अवधि में किसी भी प्रकार का धरना/हडताल में जाने की अनुमति नही होगी, धरना/हडताल करने पर नौकरी से वंचित करने का अधिकार जिलाधीश कलेक्टर का होगा।

19. सेवा प्रदाता पदो में संबंधित काउंसिल में जीवित पंजीयन अनिवार्य होगा। जीवित पंजीयन नही होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।

20. संविदा नियुक्ति विशेषज्ञ चिकित्सक को कार्यभार ग्रहण करने के 10 दिन के अन्दर जिला मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सा परिक्षण में योग्य नही पाये जाने पर सेवा समाप्त मानी जावेगी।

21. विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उनके विशेषज्ञता के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता नहीं होने पर किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकता है।

22. विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा प्राईवेट प्रेक्टिस पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला कोरिया(बैकुन्ठपुर)छत्तीसगढ

Scanned by CamScanner